



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272112
CG-DL-E-28042026-272112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 287]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

फा. सं. सीडीएन-19012/2/2025-समन्वय-एनएमसी - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 24 की उपधारा (1) की उपधारा (घ) के साथ पठित धारा 26, 28 और 29, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एतद्वारा "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 संक्षेप में (यूजी-एमएसआर 2023) के विनियम 10 के तहत दिशानिर्देशों" और "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" के विनियम 19" जिन्हें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III खंड 4 में अधिसूचना संख्या विज्ञा-III/असा/360/2023-24 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

- अध्याय-I में, उद्देश्य शीर्षक के अंतर्गत: यूजी-एमएसआर 2023 का निम्नलिखित उद्देश्य 'सीटों की संख्या में वृद्धि चाहने वाले कॉलेज वर्ष 2024-25 से एमबीबीएस छात्रों की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकते हैं' को हटा दिया जाएगा।
- अध्याय-I में, उद्देश्य शीर्षक के अंतर्गत: यूजी-एमएसआर 2023 के उद्देश्य के तहत यह प्रावधान 'बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 10 लाख आबादी के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों के अनुपात का पालन करेगा' को हटा दिया जाएगा।

3. अनुसूची I में क.1 सामान्य के अंतर्गत मौजूदा वाक्यांश

कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की दूरी के लिए यात्रा का समय अधिकतम 30 मिनट होगा'

को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की अधिकतम दूरी 10 किमी होगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा हिमालयी राज्यों के मामले में, कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की अधिकतम दूरी 15 किमी होगी'

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./56/2026-27]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION**AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2026

F. No. CDN-19012/2/2025-Coordination-NMC.—In exercise of the powers conferred by subsection (d) of subsection (1) of Section 24 read with Sections 26, 28 and 29, of the National Medical Commission Act, 2019 (Act No. 30 of 2019), the National Medical Commission, the Under Graduate Medical Education Board hereby makes the following amendments in : the "Guidelines under Regulation 10 of the Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulation 2023 in short (UG-MSR 2023)" and Regulation 19 of the Graduate Medical Education Regulations 2023 notified in Extraordinary Gazette of India Part-III Section 4 vide ADVT-III/Exty/360/2023-24 dated 16.08.2023:-

1. **In Chapter –I under the heading objectives:** The following objective in the UG-MSR 2023 'Colleges seeking increased number of seats cannot exceed a total of 150 MBBS students from the Year 2024-25' shall be deleted.

2. **In Chapter –I under the heading objectives:** The proviso under the Objective in the UG-MSR 2023 "Provided that medical college shall follow the ratio of 100 MBBS seats per 10 lakh population in that state/U.T" shall be deleted.

3. **In the Schedule I under the A.1.GENERAL** the existing phrase

'The distance between the plots of college and hospital shall have a travel time of maximum of 30 minutes' shall be read as:

'The maximum distance between the plots of college and hospital shall be 10 Km and in the case of North Eastern Region States and Himalayan States, maximum distance between the plots of college and hospital shall be 15 Km'.

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./56/2026-27]